



फर्द अहकाम
न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
कानाराम बनाम एस.डी.ओ. विराटनगर

केस संख्या 222/2022 (मुत्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
06.10.2022	<p>दरखास्तगुजार ने उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 07/2022 ब-उनवानी कानी देवी बनाम कानाराम व अन्य में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुत्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। नोटिस विपक्षीगण के रजिस्टर्ड जारी हो। पत्रावली दिनांक 07.11.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर </p>	
7.11.22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपरोक्त वकील प्रार्थी ने प्रकरण को उठाते नहीं चलाने का बयान करते हुए मोटोस किया है। अतः वकील प्रार्थी के मोटोस सिये जाने से मुत्तकिल प्रा. पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर संकलित है।</p> <p style="text-align: center;">  जिला कलक्टर जयपुर </p>	<p>Not proven by Petitioner Advocate (J. K. Yadav) R-22942/04</p>